संख्या-07/2022/2019299/12-3099/88/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 07 मार्च, 2022**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजनान्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सोलर/371/पी0एम0 कुसुम/2021-22, दिनांक 11.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार रू० 8,73,05,883/- (रू० आठ करोड़ तिहत्तर लाख पॉच हजार आठ सौ तिरासी मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
1	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 07-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना	27-सब्सिडी	8,73,05,883.00

(रू० आठ करोड़ तिहत्तर लाख पॉच हजार आठ सौ तिरासी मात्र)

2. वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022, के दृष्टिगत प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3. प्रश्नगत धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जाएगा जब आपके द्वारा यह सुनिश्चित कर लिए जाए कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

4. भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश विषयक पत्र दिनांक 06.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रश्नगत धनराशि के आहरण के पूर्व आपके द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी का चयन सुनिश्चित कर लिया गया है तथा निर्गत की जा रही धनराशि के समतुल्य केन्द्रांश प्राप्त हो चुका है।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव/ कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा। फर्मों आदि के भुगतान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुरक्षण अनुबंधों में निर्दिष्ट नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए फेजिंग के अनुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में उल्लिखित आंकड़ों की शुद्धता/केन्द्रांश की उपलब्धता तथा स्वीकृत धनराशि उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

8. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त की ली जाय।

9. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

10- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

11. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीज योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना के कार्यों की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

12. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 07- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0-कुसुम) योजना के मानक मद 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-07/2022/2019299(1)/12-3099/88/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर कृषि निदेशक (तिलहन एवं दलहन)/नोडल अधिकारी (पी0एम0कुसुम), कृषि भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।